प्रेस नोट दिनांक 18.11.2021 जनपद मेरठ।

प्रेस नोट

दिनांक 14-11-2021 को जेल चुंगी के पास ज्वेलर्स की दुकान में लूट कर भाग रहे बदमाशों को उप निरीक्षक भूरेंदर सिंह चौहान द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार कर गिरा दिया। जिससे बदमाश मौके से पकड़े गए। स्थानीय लोगों द्वारा उप निरीक्षक भूरेंदर सिंह चौहान की भूरी- भूरी प्रशंसा की गई। उक्त साहसिक कार्य के लिए आज दिनांक 18-11-2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ द्वारा उप निरीक्षक भूरेंदर सिंह चौहान को प्रशस्ति पत्र एवं 5 हजार नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2021

थाना सदर बाजार जनपद मेरठ

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18/11/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैन्ट जनपद मेरठ के निर्देशन में थाना सदर बाजार मेरठ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सोतीगंज चौराहा दिल्ली रोड थाना सदर बाजार मेरठ से अभियुक्त मुदस्सिर पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी 171 कुम्हारो वाला मौहल्ला थापर नगर दक्षिणी सोतीगंज थाना सदर बाजार जनपद मेरठ को एक मोटरसाईकिल पल्सर रंग लाल काला 180 सीसी जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP 13 AX 5699, इंजन नम्बर DJYCHM84537 तथा चैसिस न0 MD2A12DY7HCM14801 के साथ दिनांक 17/11/2021 को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मोटरसाईकिल उपरोक्त मैने जली हुई अवस्था में अकुंर सिंह से खरीदी थी जिसकी आरसी मैने अपने नाम ट्रांसफर करा ली थी, और वह मोटरसाईकिल मैने सोतीगंज मार्केट में बेच दी थी और सोतीगंज मार्केट से चोरी की 2011 माडल पल्सर बाईक राह चलते व्यक्ति से खरीद ली थी, उस पर मैने अपना नाम की आरसी का रजिस्ट्रेशन इंजन नंबर व चैसिस नंबर गुदवा लिया था । जिसके साथ आज आपने मुझे पकड लिया है। उपरोक्त संबंध में थाना सदर बाजार मेरठ पर मु0अ0सं0 278/2021 धारा 420/414/465 भादवि पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

मुदस्सिर पुत्र मेहराजुद्दीन उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी 171 कुम्हारो वाला मौहल्ला थापर नगर दक्षिणी सोतीगंज थाना सदर बाजार जनपद मेरठ।

आपराधिक इतिहासज़:-

मु0अ0सं0 278/2021 धारा 420/414/465 भादवि थाना सदर बाजार मेरठ

<u>प्रेस नोट थाना मुण्डाली मेरठ</u>

अवगत कराना है कि थाना मुण्डाली क्षेत्र के ग्राम सिसौली में दिनाँक 07.11.21 को वादी श्री वीर सिंह पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम सिसौली थाना मुण्डाली मेरठ द्वारा सूचना दी गयी थी कि मेरा बेटा बुद्धू उर्फ भानुप्रताप उम्र 05 वर्ष दोपहर 02.00 बजे दिन में घर से कही चला गया है इस सूचना पर दिनाँक 07.11.21 को ही मु0अ0सं0 373/21 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था दिनाँक 8.11.21 को बच्चे का शव वादी के भाई नरेश तोमर के घेर में बने कमरे से भूसे के ढेर से बरामद हुआ था जिसके आधार पर उक्त अभियोग में धारा 302/201 की वृद्धि की गयी तथा दिनाँक 18.11.21 को तमामी विवेचना से वादी की भाभी श्रीमती मुकेश तोमर पत्नी नरेश तोमर निवासी ग्राम सिसौली थाना मुण्डाली मेरठ व वादी के नाबालिग भतीजे के नाम प्रकाश में आये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता श्रीमती मुकेश तोमर पत्नी नरेश तोमर व बाल अपचारी को सिसौली अडडे पशु चिकित्सालय के सामने से पुलिस हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ पर श्रीमती मुकेश तोमर ने बताया कि मेरी शादी के बाद मेरे 08 बच्चे पैदा हुए थे जो जन्म होने के बाद ही मर जाते थे मेरे दो बेटे जीवित है वो भी अधिकतर बिमार रहते है मेने सुना था कि किसी बच्चे की बलि देने पर मेरे बच्चे शारीरिक रुप से ठीक हो सकते है, इसी अंध विश्वास के चलते मैने अपने नाबालिग बेटे की मदद से अपने देवर वीर सिंह के पुत्र बुद्ध उर्फ भानुप्रताप उम्र 05 वर्ष जो कि बोलने में असमर्थ था की दराती से गला काटकर हत्या कर शव को अपने ही घेर में बने कमरे में भूसे में छुपा दिया था हम बच्चे के शव को मौका मिलने पर कही और फैंक देते लेकिन मौका नही मिला और पुलिस तलाशी में बच्चे का शव बरामद हो गया। आरोपी महिला व बाल अपचारी को माननीय न्यायालय मेरठ पेश किया जा रहा है।

<u>बरामदगी</u> :- आला कत्ल एक दराती।

MEERUT POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2021

थाना थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश एवं पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के दौरान आज दिनांक 18-11-2021 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र रघुवीर उम्र करीब 55 वर्ष निवासी शकुंतला कॉलोनी नई बस्ती मवाना जनपद मेरठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

अभियुक्त नेत्रपाल उपरोक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तगण (1) ब्रह्म सिंह पुत्र चंद्रकिरण (2) कुलदीप पुत्र ब्रह्म सिंह (3) बंटी पुत्र ब्रहम सिंह निवासी गण कायस्थ गांवड़ी थाना परतापुर एवं (4) हरिओम शर्मा पुत्र राजपाल शर्मा निवासी अंजलि थाना परतापुर (5) श्रीमती गीता w/o निशिकांत निवासी मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके फर्जी आईडी बनवाकर श्रीमती मुनेश नेहरा पत्नी रिटायर्ड प्रिंसिपल विजेंद्र सिंह नेहरा निवासी नई बस्ती दौलतपुर फकराबाद उर्फ कायस्थ गांवड़ी थाना परतापुर को लगभग 8 बीघा जमीन रुपए लगभग 3000000 में बेच दी, जीत सिंह व हरी किशन पुत्रगण खजान निवासी छज्जूपुर थाना परतापुर को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस संबंध में श्रीमती मुनेश नेहरा द्वारा वर्ष 2016 में दिनांक 30 अप्रैल 2016 को मुकदमा अपराध संख्या 212/2016 धारा 419/420/467/468/471/120बी आईपीसी पंजीकृत कराया गया था।

इस संबंध में ब्रहम सिंह, कुलदीप, बंटी, हरिओम एवं गीता को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त नेत्रपाल एक शातिर दिमाग व्यक्ति है, ट्रक ड्राइवर है, इसने अपने आसपास यह अफवाह फैलाकर की नेत्रपाल की मृत्यु हो गई है। बाहर रहकर ट्रक ड्राइविंग कर रहा था और वर्ष 2016 से लगातार फरार था।

<u>सराहनीय कार्य जनपद मेरठ</u>
<u>दिनांक 18.11.2021</u>

जाहिद

राशिद

शादाब

<u>ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 03 अभियुक्त मय बिजली के ट्रान्सफार्मर की प्लेट, ट्रान्सफार्मर के अन्दर की कोयल, ट्रान्सफार्मर के अन्तर की पत्ती कुल संख्या- 132, दो चाबी, तीन पाने, एक पिलास, एक लोहा काटने की आरी व करीब 08 किलोग्राम ताँबे के तार मय एक अदद ऑटो नं0 UP 15 ET 2411 के गिरफ्तार</u>

दिनांक 07/11/2021 को थाना हाजा पर वादी श्री मनोज कुमार बिन्द अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र सिसौली मेरठ की तहरीर पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 407/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 बनाम अज्ञात बाबत ट्र्रान्सफार्मर को निचे गिराकर अन्दर का सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत किया गया था।

थाना क्षेत्र मे बिजली चोरी की घटित घटनाओ के यथाशीघ्र सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ/ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर देहात के पर्येवेक्षण में थाना स्तर पर टीम गठित की गयी। गठित टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण को मय माल के गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से टैम्पू मे रखकर बेचने हेतु ले जा रहे ट्रान्सफार्मर का काफी सामान बरामद किया गया। अभियुक्तगण से पूछताछ पर बरामद सामान के बारे मे ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण उपरोक्त व इनके दो भागे हुए साथियो 1.इरशाद उर्फ भोला पुत्र लियाकत निवासी मढियाई थाना सरधना जिला मेरठ 2.आशू पुत्र इस्लाम निवासी ईदगाह रोड धर्मपुरी हाजी कलवा वाली गली कस्बा व थाना सरधना जिला मेरठ ने दिनाँक 07/11/2021 को ग्राम पचगाँव पट्टी साँवल स्कूल से आगे खंडजे के पास टयूबवैल पर लगे ट्रान्सफार्मर को गिराकर निकाला था जिसको गन्ने के खेत मे छिपा दिया था आज इसको मौका देखकर बेचने के लिए ले जा रहे थे ट्रान्सफार्मर के अन्दर का माल बेचने के लिए अभियुक्तगण अपने साथी इरशाद उर्फ भोला को दे देते है जो मौके से भाग गया। इरशाद उर्फ भोला सामान कबाडी को बेचकर पैसे लाकर दे देता है पैसे सभी आपस मे बराबर बराबर बाँट लेते है। सभी अभियुक्तगण ने थाना क्षेत्र व अन्य थाना क्षेत्रो से भी ट्रान्सफार्मर चोरी की काफी घटनाए बरामद ऑटो नं0 UP 15 ET 2411 से की है और सामान को वही पकडे जाने के डर से आसपास छिपा देते थे और मौके मिलने पर इसी ऑटो से कट्टो मे छिपाकर ले जाते थे। अभियुक्तगण के एक शातिर किस्म के अपराधी है जिन्होने थाना क्षेत्र अन्य थाना क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर चोरी करना स्वीकार किया है अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

MEERUT POLICE

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जाहिद पुत्र जमील निवासी ग्राम गोकलपुर मौहल्ला इस्लामनगर थाना मैडिकल जिला मेरठ
2. राशिद पुत्र अनीसू निवासी ईदगाह रोड धर्मपुरी थाना सरधना जिला मेरठ
3. शादाब पुत्र इस्लामुददीन भूमिया का पुल शेरसिह वाली गली मौहल्ला हरीनगर थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जाहिद पुत्र जमील निवासी ग्राम गोकलपुर मौहल्ला इस्लामनगर थाना मैडिकल जिला मेरठ

1. मु0अ0सं0 298/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
2. मु0अ0सं0 347/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 392/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
4. मु0अ0स0 407/2021 धारा 136/137 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
5. मु0अ0सं0 415/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
6. मु0अ0सं0 416/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
7. मु0अ0सं0 418/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
8. मु0अ0सं0 419/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
9. मु0अ0सं0 375/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ
10. मु0अ0सं0 373/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ
11. मु0अ0सं0 396/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राशिद पुत्र अनीसू निवासी ईदगाह रोड धर्मपुरी थाना सरधना जिला मेरठ-

1. मु0अ0सं0 298/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
2. मु0अ0सं0 347/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 392/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
4. मु0अ0स0 407/2021 धारा 136/137 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
5. मु0अ0सं0 415/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
6. मु0अ0सं0 416/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
7. मु0अ0सं0 418/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
8. मु0अ0सं0 419/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
9. मु0अ0सं0 375/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ

10 मु0अ0सं0 373/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ

11 .मु0अ0सं0 396/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ

12 .मु0अ0सं0 451/15 धारा 379/411 भादवि व 136 वि0अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

13. मु0अ0सं0 465/15 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

14. मु0अ0सं0 817/16 धारा 147/323/354/392/452/504/506 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शादाब पुत्र इस्लामुददीन भूमिया का पुल शेरसिह वाली गली मौहल्ला हरीनगर थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ-

1. मु0अ0सं0 298/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ

MEERUT POLICE

2. मु0अ0सं0 347/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 392/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
4. मु0अ0स0 407/2021 धारा 136/137 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
5. मु0अ0सं0 415/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
6. मु0अ0सं0 416/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
7. मु0अ0सं0 418/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
8. मु0अ0सं0 419/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भावनपुर जनपद मेरठ
9. मु0अ0सं0 375/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ
10. मु0अ0सं0 373/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ
11. मु0अ0सं0 396/2021 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना इंचौली जनपद मेरठ
12. मु0अ0सं0 317/2014 धारा 147/452/354ख/504 भादवि थाना भावनपुर जनपद मेरठ

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. ट्रांसफार्मर की कॉइल व ऊपर का ढक्कन
2. ट्रांसफार्मर के अन्दर की 132 पत्ती
3. 08 किलो तांबे का तार ट्रांसफार्मर की कॉइल का
4. चाबी, पाना, पिलास, लोहा काटनी आरी (ट्रांसफार्मर खोलने व काटने के उपकरण)

MEERUT POLICE